

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(31)नवि/3/1997

जयपुर, दिनांक:

01 FEB 2024

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.08.2002 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित प्रतापगढ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो चुकी है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2024 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.07.1998 के द्वारा अधिसूचित " प्रतापगढ नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

— *SD* —
(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ ।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

ADVEP
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय